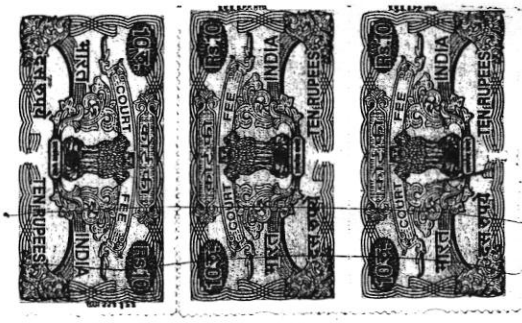

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी

II/निगरानी/दतिया/भू.रा/2017/4117

राजेन्द्र पुत्र हरदास गुप्ता जाति वैश्य निवासी इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगर जिला दतिया

.... आवेदक

विरुद्ध

1. मनीष कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र सिहारे
2. श्रीमती मीरा पत्नी सुरेश चन्द सिहारे

निवासीगण इन्दरगढ़ तहसील इन्दरगर जिला दतिया

3- म०प्र शासन

.... अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एड.
द्वारा आज दि. 1-11-17 को
प्रस्तुत
1-11-17
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 6.10.17 पारित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सेंवढ़ा जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 130/बी–121/16–17 मनीष कुमार आदि विरुद्ध राजेन्द्र</u>

Copy received by me
1-11-17

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक मनीष कुमार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार इन्दरगढ़ के यहां प्रचलित लम्बित प्रकरण क्रमांक 8/अ–70/16–17 में राजेन्द्र विरुद्ध मनीष कुमार के नाम से धारा 250 का प्रकरण प्रस्तुत है।

2. यहकि, सर्वे क्रमांक 334, 344/13/1 रकबा 0.64 हैक्टेयर पर निष्कासन ...न वाद प्रचलित है। अनावेदक 1 द्वारा पीठासीन अधिकारी तहसीलदार ... लगाया कि प्रकरण क्रमांक में पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्यवाही ... है कानून के विपरीत है। हम अनावेदक से रंजिश मानकर

XXXIX(a)BR(H)-11

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक II/निग/दतिया/भू.रा./2017/4117 **जिला–** दतिया

राजेन्द्र बनाम मनीष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित हुए। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेवढ़ा जिला–दतिया के प्र.क्र. 130/बी–121/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश के अनुसार तहसील न्यायालय में प्रचलित प्र.क्र. 08/अ–70/2016–17 को निराकरण हेतु तहसीलदार सेवढ़ा को हस्तांतरित किया गया है, जिसमें आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, ऐसे में आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। अतः प्रथम दृष्टया सुनवाई योग्य पर्याप्त आधार नहीं होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.